न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023 / 319

1. रतनी देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
2. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राह्मण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–कन्टैस्टींग रेस्पोन्डेन्ट

2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. लालचन्द पुत्र स्व. सीताराम (मृतक)
   3 / 1. महेश पुत्र लालचन्द
   3 / 2. मुकेश पुत्र लालचन्द
   3 / 3. मोहन पुत्र लालचन्द
4. रमेश पुत्र स्व. सीताराम
5. कैलाश पुत्र स्व. सीताराम
6. रामा देवी पत्नी स्व. शंकर
7. राकेश पुत्र स्व. शंकर
   समस्त 2 लगायत 07 जाति ब्राहमण, निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
8. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।
9. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।
10. शांति देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम हाल निवासी– माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
12. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी-- प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
13. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
14. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
15. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल समस्त 14 लगायत 15 जाति अग्रवाल महाजन, निवासी– के – 39, 40 महावीर नगर मोहन वाटिका के सामनेदुर्गापुरा जयपुर ।
16. उपपंजीयक अधिकारी बस्सी जिला जयपुर।

--तरतीबी रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2023 न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुरप्रकरण संख्या 33/2022 उनवानी श्रीमति रामा देवी बनाम गीता देवी व अन्य

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलान्ट

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/375

1. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
2. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल
   जाति महाजन, निवासी के–39, 40 महावीर नगर मोहन वाटिका के सामने दुर्गापुरा जयपुर।

–अपीलांटस

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–कन्टैस्टींग रेस्पोन्डेन्ट

2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. महेश पुत्र लालचन्द
4. मुकेश पुत्र लालचन्द
5. मोहन पुत्र लालचन्द
6. पिंकी पुत्री लालचन्द
7. रेखापुत्री लालचन्द
8. कवितापुत्री लालचन्द
9. अंकितापुत्री लालचन्द
10. रमेश पुत्र स्व0 सीताराम
11. कैलाश पुत्र स्व0 सीताराम
12. ओमप्रकाश पुत्र श्री कैलाशचन्द
13. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्द
14. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्द
15. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्द
16. विमला देवी पत्निश्री कैलाशचन्द
17. सम्पत्ति पुत्री स्व0 श्री सीताराम
18. भौंरीदेवी पत्नीस्व0 श्री सीताराम(मृतक)
19. रामादेवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल
20. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
21. राकेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
    समस्त 2 लगायत 21 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
22. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, पत्नि श्री सुभाष निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

23. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, पत्नी श्री सुभाष हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।
24. शांति देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम माधोगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
26. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
27. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
28. गोविन्द शरण पुत्र बद्रीनाराण गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. बी 162 जनता कॉलोनी जिला जयपुर।
29. रतन देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
30. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
31. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री रामकल्याण
32. श्रीमती गीता पत्नी श्री रामकल्याण
33. पुरूषोत्तम पुत्र श्री रामकल्याण
34. कृष्णा पुत्री स्व0 श्री रामकल्याण
35. तुलसी पुत्रीस्व0 श्री रामकल्याण
36. प्रेम पुत्रीस्व0 श्री राधेश्याम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

37. कल्याण पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसरपालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
38. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2023 न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुरप्रकरण संख्या 33/2022 उनवानी श्रीमति रामा देवी बनाम गीता देवी व अन्य

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलान्ट
2. श्री एस.एस.एस. सुण्डा वकील रेस्पो0 24 की ओर से

अपील जीसीएमएस **संख्या 2023/357**

1. मधु देवी धर्मपत्नी कुशलचन्द ठोलिया, जाति जैन, निवासी मकान नं. 2504, मारूजी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
2. प्रतिभा जैन धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।

–अपीलांटस

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राह्मण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–रेस्पोन्डेन्ट

2. गीता देवी पत्नी स्व0 रामजीलाल
3. महेश पुत्र स्व0 श्री लालचन्द
4. मोहन पुत्र स्व0 श्री लालचन्द
5. मुकेश पुत्र स्व0 श्री लालचन्द
6. पिंकी पुत्री स्व0 श्री लालचन्द
7. रेखापुत्री स्व0 श्री लालचन्द
8. कवितापुत्री स्व0 श्री लालचन्द
9. अंकितापुत्री स्व0 श्री लालचन्द
10. रमेश चन्द पुत्र स्व0 सीताराम
11. कैलाश पुत्र स्व0 सीताराम
12. ओमप्रकाश पुत्र श्री कैलाशचन्द
13. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्द
14. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्द
15. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्द
16. विमला देवी पत्निश्री कैलाशचन्द
17. सम्पत्ति पुत्री स्व0 श्री सीताराम
18. भौंरीदेवी पत्नीस्व0 श्री सीताराम(मृतक)
19. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
20. राकेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
    समस्त 2 लगायत 21 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
21. गुड्डी पुत्री स्व. शंकरलाल
22. सुनीता उर्फ संगीता पुत्री स्व. शंकरलाल,
23. रामादेवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल
24. शांति देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम माधोगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
25. गोविन्द शरण पुत्र बद्रीनाराण गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. बी–162 जनता कॉलोनी जिला जयपुर।
26. श्रीनारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
27. बनिता अग्रवाल पत्नी श्रीनारायण कुमार अग्रवाल
    जाति महाजन, निवासी मकान नं 1825 खजानों वाला रास्ता जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
28. रतनी देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
29. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
30. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम
31. श्रीमती गीता पत्नी श्री रामकल्याण
32. पुरूषोत्तम पुत्र श्री रामकल्याण

संभागीय आयुक्त जयपुर

33. कृष्णा पुत्री स्व0 श्री रामकल्याण
34. तुलसी पुत्री स्व0 श्री रामकल्याण
35. प्रेम पुत्री स्व0 श्री राधेश्याम
    समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
36. कल्याण पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसर पालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2023 न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुरप्रकरण संख्या 33/2022 उनवानी श्रीमति रामा देवी बनाम गीता देवी व अन्य।

उपस्थित–
1. श्री हेमन्त सोगानी वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील रेस्पो0 26 से 29 की ओर से।
3. श्री लालचन्द जाट वकील रेस्पो0 1 व 24 की ओर से।

<u>अपील जीसीएमएस संख्या 2023/328</u>

1. रतनी देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
2. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. लालचन्द पुत्र स्व. सीताराम (मृतक)
   3/1. महेश पुत्र लालचन्द
   3/2. मुकेश पुत्र लालचन्द
   3/3. मोहन पुत्र लालचन्द
4. रमेश पुत्र स्व. सीताराम
5. कैलाश पुत्र स्व. सीताराम
6. रामा देवी पत्नी स्व. शंकर
7. राकेश पुत्र स्व. शंकर
   समस्त 2 लगायत 07 जाति ब्राहमण, निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
8. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।
9. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

10. शांति देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम हाल निवासी– माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
12. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
13. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
14. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
15. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल समस्त 14 लगायत 15 जाति अग्रवाल महाजन, निवासी– के – 39, 40 महावीर नगर, मोहन वाटिका के सामनेदुर्गापुरा जयपुर ।
16. उपपंजीयक अधिकारी बस्सी जिला जयपुर।
17. विमला देवी पत्नि श्री कैलाशचन्दनिवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
18. ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचन्द ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
19. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्दना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
20. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्दना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
21. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्दना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
22. कल्याण पुत्र गंगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालावाल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
23. राधेश्याम पुत्र माधोलाल निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2023 न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी नामान्तरकरण संख्या 784 ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुरबउनवानी विमला देवी बनाम श्रीनारायण।

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलांट
2. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

<u>अपील जीसीएमएस संख्या 2023/377</u>

1. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
2. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल
   जाति महाजन, निवासी के–39, 40 महावीर नगर मोहन वाटिका के सामने दुर्गापुरा जयपुर।

–अपीलांटस

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—कन्टैस्टीग रेस्पोन्डेन्ट

2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. महेश पुत्र लालचन्द
4. मुकेश पुत्र लालचन्द
5. मोहन पुत्र लालचन्द
6. पिंकी पुत्री लालचन्द
7. रेखापुत्री लालचन्द
8. कवितापुत्री लालचन्द
9. अंकितापुत्री लालचन्द
10. रमेश पुत्र स्व0 सीताराम
11. कैलाश पुत्र स्व0 सीताराम
12. रामादेवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल
13. राकेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल

    समस्त 2 लगायत 13 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

14. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, पत्नि श्री सुभाष निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।
15. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, पत्नी श्री सुभाष हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।
16. शांति देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम माधोगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
18. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
19. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
20. रतन देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
21. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
22. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
23. विमला देवी पत्निश्री कैलाशचन्द
24. ओमप्रकाश पुत्र श्री कैलाशचन्द
25. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्द
26. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्द
27. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्द

    समस्त 23 लगायत 27 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

28. कल्याण पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसरपालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

29. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2023 न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी नामान्तरकरण संख्या 784 ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुरबउनवानी विमला देवी बनाम श्रीनारायण।

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलान्ट

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/327

1. रतनी देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
2. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. लालचन्द पुत्र स्व. सीताराम (मृतक)
   3/1. महेश पुत्र लालचन्द
   3/2. मुकेश पुत्र लालचन्द
   3/3. मोहन पुत्र लालचन्द
4. रमेश पुत्र स्व. सीताराम
5. कैलाश पुत्र स्व. सीताराम
6. रामा देवी पत्नी स्व. शंकर
7. राकेश पुत्र स्व. शंकर

   समस्त 2 लगायत 07 जाति ब्राहमण, निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
8. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।
9. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।
10. शांति देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम हाल निवासी– माधोगढ, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
12. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।

संभागीय आयुक्त जयपुर

13. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
14. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
15. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल समस्त 14 लगायत 15 जाति अग्रवाल महाजन, निवासी– के – 39, 40 महावीर नगर, मोहन वाटिका के सामनेदुर्गापुरा जयपुर ।
16. उपपंजीयक अधिकारी बस्सी जिला जयपुर।
17. विमला देवी पत्नि श्री कैलाशचन्द निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
18. ओमप्रकाश पुत्र कैलाशचन्द ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
19. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्द ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
20. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्द ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
21. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्द ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता विमला देवी रेस्पो0 संख्या 17
22. कल्याण पुत्र गंगाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालावाल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
23. राधेश्याम पुत्र माधोलाल निवासी– ग्राम मानगढ खोखावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2023 न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी नामान्तरकरण संख्या 785 ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलांट
2. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/378

1. नारायण कुमार अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद
2. बनिता अग्रवाल पत्नी नारायण कुमार अग्रवाल

जाति महाजन, निवासी के–39, 40 महावीर नगर मोहन वाटिका के सामने दुर्गापुरा जयपुर।

–अपीलांटस

बनाम

1. रामा देवी पुत्री स्व. श्रीनारायण पत्नी रामवतार, जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम मानगढखोखावाला, तहसील बस्सी, जयपुर हाल निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–कन्टैस्टींग रेस्पोन्डेन्ट

2. गीता देवी पत्नी रामजीलाल
3. महेश पुत्र लालचन्द
4. मुकेश पुत्र लालचन्द
5. मोहन पुत्र लालचन्द
6. पिंकी पुत्री लालचन्द
7. रेखापुत्री लालचन्द
8. कवितापुत्री लालचन्द
9. अंकितापुत्री लालचन्द
10. रमेश पुत्र स्व0 सीताराम
11. कैलाश पुत्र स्व0 सीताराम
12. रामादेवी पत्नी स्व0 श्री शंकरलाल
13. राकेश पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल
    समस्त 2 लगायत 13 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
14. गुड्डी पुत्री स्व. शंकर, पत्नि श्री सुभाष निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा।
15. सुनीता पुत्री स्व. शंकर, पत्नी श्री सुभाष हाल निवासी ग्राम अरनिया, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।
16. शांति देवी पुत्री श्रीनारायण पत्नी श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष जाति ब्राहम्ण, निवासी – ग्राम माधोगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
18. मधु देवी पत्नी कुशलचन्द, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नं. 2504, मारू जी का चौक, मोती सिंह भौमिया का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर ।
19. प्रतिभा जैन पत्नी अनिल कुमार, जाति जैन, निवासी– प्लाट नं. 258, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।
20. रतन देवी पत्नी गोविन्दनारायण, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर 616, महावीर नगर प्रथम, टोंक रोड, जयपुर ।
21. संगीता अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर बी –156, साकेत कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर
22. उपपंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
23. विमला देवी पत्निश्री कैलाशचन्द
24. ओमप्रकाश पुत्र श्री कैलाशचन्द
25. चन्द्र प्रकाशपुत्र श्री कैलाशचन्द
26. अजय पुत्रपुत्र श्री कैलाशचन्द
27. दीपकपुत्र श्री कैलाशचन्द
    समस्त 23 लगायत 27 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
28. कल्याण पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामसरपालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
29. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2023 न्यायालय नायब तहसीलदार बस्सी नामान्तरकरण संख्या 785 ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक –31.07.2024

1. उक्त सातों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 एवं आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है। सातों प्रकरणों में विवादित आराजी, अपीलाधीन आदेश, विषयवस्तु समान होने से सातों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयुपर में स्थित खसरा नंबर 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 161 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 175 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 176 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार श्रीनारायण पुत्र भोला की विरासत नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 खोले जाने पर इसकी अपील अति० जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर के यहॉ प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 27.07.1972 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिनांक 26.07.2022 को दिए गये जिसकी पालना में तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 पारित किये गये एवं आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 तस्दीक किये गये।

3. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बस्सी जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 11.07.2023 निरस्तकरने एवं आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी, जिला जयपुर में खसरा नंबर 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 161 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 175 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 176 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि केखातेदार श्रीनारायण पुत्र भोलाथा। जिसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 को स्व० सीताराम एवं गीता देवी

पत्नि स्व0 रामजीलाल के नाम खोल दिया गया। सीताराम की विरासत का नामा0 जरिये नामा0 संख्या 267 के द्वारा लालचन्द, शंकरलाल, रमेश पुत्रान् स्व0 सीताराम एवं भौरी देवी पत्नी स्व0 सीताराम के नाम दर्ज हुआ। उनके द्वारा पंजीकृत विकय पत्रों के आधार पर अपीलार्थीगणों द्वारा कय की गई है एवं उसी आधार पर काबिज हैं।

खसरा नम्बर 175 रकबा 0.0253 हैक्टयर व खसरा नम्बर 176 रकबा 5. 0706 हैक्टयर, कुल किता 02 कुल रकबा 5.0959 हैक्टयर स्थित है, जिसकी सहखातेदार गीता देवी पत्नी स्व. रामजीलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2004 को अपीलांटस् रतनी देवी एवं संगीता अग्रवाल ने क्रय की थी जो राजस्व अभिलेखो में जरिये राजस्व नामान्तरण संख्या 382 व 383 निर्णय दिनांक 06.09.2004 द्वारा अपीलांटस रतनी देवी एवं संगीता अग्रवाल के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि को क्रय करने से पूर्व आम-सूचना दैनिक भास्कर में दिनांक 16.07.2004 व 17.07.2004 को प्रकाशित करवाई थी तथा दिनांक 16.08.2004 को विक्रय पत्र द्वारा क्रय की दिनांक से सम्पूर्ण भूमि के क्रयशुदा भाग पर कब्जा प्राप्त कर लिया प्राप्त कर लिया जिसमें पुख्ता बाउण्ड्रीवॉल व आवासीय कमरे का निर्माण हो रखा था। जिस पर अपीलांटस रतनी देवी एवं संगीता अग्रवाल साधिकार काबिज काश्त है ।

इसी प्रकार जरिये रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 02.06.2001 से अपीलार्थीगण नारायण कुमार एवं बनिता अग्रवाल ने कय की है। जो कि राजस्व अभिलेखों में नामा0 संख्या 312 व 313 सन् 2001 से ही अपीलांट्स के नाम दर्ज चली आ रही है।

इसी प्रकार दिनांक 16.08.2004 को श्रीमती गीता देवी ने भूमि खसरा नं. 176 में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात 1/4 भूमि श्रीमती संगीता अग्रवाल को एवं 1/4 हिस्से की भूमि श्रीमती रतनी देवी को विकय कर कब्जा संभलवा दिया। जो कि पंजीकृत विकय पत्रों के आधार पर नामान्तररकरण संख्या 382 रतनी देवी के नाम एवं नामा0 संख्या 383 संगीता अग्रवाल के नाम तस्दीक कर दिया गया।

राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की जानकारी श्रीनारायण व उनकी दोनों पुत्रियों श्रीमती रामादेवी व श्रीमती शांति देवी को प्रारम्भ से ही रही है एवं सहमत थी इसलिये उन्होने उपरोक्त वर्णित इन्द्राजात पर कभी कोई आपत्ति पेश नहीं की। उक्त वादग्रस्त आराजी के बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद दिनांक 28.07.2016 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 380 -ए/2016 उनवानी श्रीमति शांति देवी बनाम श्रीमति रतनदेवी गीता देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें रामा देवी भी पक्षकारा है जिसमें आगामी तारीख पेशी 01.08.2023 नियत है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना में दिनांक 28.07.2016 से मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है जो आज दिनांक तक प्रभावी है । उसके बाबजूद भी तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 श्रीनारायण व उसके बाद उसकी दोनों बेटियों शांति व रामादेवी के नाम भरकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय में अपीलांटस् अभिलिखित खातेदारान को जानबूझकर नोटिस व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा वास्तविक व

भौतिक रूप से अपीलांट्स क्रयशुदा भाग पर काबिज काश्त है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस् को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया अपीलांटस् ने अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी के हिस्सो को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय किया है । जिससे हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के प्रावधान नामांतरण संख्या 67 पर पारित मूल निर्णय दिनांक 27.07.1972 पर लागू नही होते है। ऐसे में जब अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का आदेश ही विधिविरूद्ध है तो अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के आदेश की पालना में तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा का आदेश दिनांक 11.07.2023 एवं आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 श्रीनारायण व उसके बाद उसकी दोनों बेटियों शांति व रामादेवी के नाम भरकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया विधिविरूद्ध होने से स्वत: ही निरस्तनीय है। अत: अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद मे स्थगन होने का नोट अंकित होने के उपरान्त भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बस्सीनामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 एवं आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नंबर 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 161 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 175 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 176 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा है के खातेदार श्रीनारायण पुत्र भोला था। जिसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 को स्व० सीताराम एवं गीता देवी पत्नि स्व0 रामजीलाल के नाम खोल दिया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 एवं 10 श्रीनारायण पुत्र भोला की जायन्दा पुत्रियां है। रेस्पो० संख्या 1 लगायत 10 स्व० नारायण पुत्र भोला के वंशज है परन्तु तहसीलदार ने बिना विधिक वारिसो की जांच किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा विधिक नियमों के विरूद्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। जिसके अनुसार पुत्रियों को भी पुत्र के समान अधिकार दिये गये हैं। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 27.07.1972को निरस्त कर प्रकरणरिमाण्ड किये जाने के आदेश दिए गये। जिसकी पालना में ही तहसीलदार बस्सी द्वारा विधिवत् प्रकरण अंतर्गत धारा 135(2) में दर्ज कर नियमानुसार उभयपक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 पारित किये एवं उसी आधार पर आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 तस्दीक किये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये उक्त अपीलें अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रभावित पक्षकार होने

से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम मानगढ खोखावाला तहसील बस्सी जिला जयुपर में स्थित खसरा नंबर 98 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 161 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 175 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 176 रकबा 20 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा भूमि में मृतक खातेदार श्रीनारायण पुत्र भोला की विरासत नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 खोले जाने को लेकर है। इसकी अपील अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर के यहाँ प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा लगभग 50 वर्ष बाद तहसीलदार बस्सी का आदेश दिनांक 27.07.1972 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिनांक 26.07.2022 को दिए गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है अपीलांट्स द्वारा विवादग्रस्त भूमि में उचित प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि का क्रय किया है। अतः अपीलांट्स सद्भावी क्रेतागण हैं उन्हें अपीलाधीन आदेश में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था किन्तु अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा लगभग 50 वर्ष बाद प्रभावित अभिलिखित खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना अपील पेश करने की अनुमति लिये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 को खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। पक्षकारान् के मध्य घोषणात्मक वाद विचाराधीन है एवं पक्षकारान् के विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिकार भी घोषणात्मक वाद के जरिये ही निर्धारित होने हैं। नामान्तरकण की कार्यवाही एक फिसीकल प्रौसेंडिंग है जिसके तहत अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपीलांटस् को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया तथा निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किये बिना ही अपील को स्वीकार कर सन् 1972 के निर्णय को खारिज कर दिया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा प्रभावित अभिलिखित खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना एवं अपील पेश करने की अनुमति लिये बिना एवं मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किये बिना तथा विवादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान् के मध्य घोषणात्मक वाद विचाराधीन होने के उपरान्त भी लगभग 50 वर्ष बाद नामान्तरकरण संख्या 67 दिनांक 27.07.1972 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है एवं इसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 खारिज किये जाने योग्य है तथा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 11.07.2023 की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 11.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 784 दिनांक 13.07.2023 व नामान्तरकरण संख्या 785 दिनांक 14.07.2023 निरस्त किया जाता है।

(डॉ आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर